

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या- 910 /सेक-2-पाँच-17-1(3)/2014 टी0सी0
लखनऊ :: दिनांक : 25 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

डा0 भाष्कर राय व 05 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-42583/2015 डा0 भाष्कर राय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य इस आशय से योजित की गयी कि 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत कनिष्ठ के सापेक्ष प्रोन्नति एवं परिणामी लाभ प्रदान किया जाय। मामले की सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2015 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

"Heard learned counsel for the parties.

Petitioners before this Court, who are six in number, contend that all those Medical Officer who were members of PMHS Cadre and had not been considered for promotion to Level IV for no fault of their are being considered by the State Government for promotion, only when an order is made by the writ Court, and not otherwise. Reference is made to the order dated 17.01.2015 enclosed as Annexure-1 to the present petition.

We find that similar nature of writ petitions are being filed before this Court.

We dispose of the present writ petition with a direction upon the State Government that all such similarly situate employees must be considered for promotion to Level IV at par with the officers who were junior to them and have since been promoted. There should not be any further litigation for the purposes of consideration for promotion. It must be uniformly applied for all similar situate. The application of the similarly situate candidates must be considered within four weeks from the date a certified copy of this order is filed before the respondent no. 1. With the aforesaid directions, the present writ petition is disposed of."

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन हेतु याची डा0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव, डा0 देवेन्द्र सिंह नेगी, डा0 विजय गौरोला, डा0 गनेशी लाल, डा0 रमाकान्त आर्या, डा0 हरेन्द्र प्रताप, डा0 हरीशंकर, डा0 शरद कुमार सिंह, डा0 अभिषेक वर्मा, डा0 सदानन्द, डा0 मुकुल कुमार गुप्ता, डा0 बाबू राम जायसवाल, डा0 अवधेश कुमार अग्रवाल, डा0 राजीव लोचन, डा0 चन्द्र भानु चौरसिया तथा डा0 वीरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन क्रमशः दिनांक 28.10.20016, 26.10.2016, 31.10.2016, 27.10.2016, 25.10.2016, 26.10.2016, 01.11.2016, 26.10.2016, 29.10.2016, 21.10.2016, 21.10.2016, 28.10.2016, 01.11.2016, 24.10.2016, 29.10.2016 तथा 24.10.2016 में आसन्न कनिष्ठ नियम के अधीन सामान्य उपसंवर्ग के कनिष्ठ को प्राप्त प्रदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2015 के अनुपालन हेतु याची डा0 रमाकान्त आर्या व 15 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-6260/2016 डा0 रमाकान्त आर्या व अन्य बनाम श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजित किया गया। मामले में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.12.2016 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

"Connect with Contempt Application (Civil) No. 6259 of 2016. Heard Sri Vinay Kumar Tiwari, learned counsel for applicants.

It is submitted that in Writ- A No. 42583/2015, a Division Bench of this Court passed a general mandamus on 31.7.2015 directing the State Government to ensure that all similarly situated medical officers, who are members of PMHS Cadre and are not being considered for promotion to Level-IV for no fault of their's at par with

medical officers, who were juniors to them, have since been promoted, be considered for promotion. It is further submitted that the applicants too claimed parity with the order dated 31.7.2015 and staked a claim before the opposite party for promotion to Level-IV by registered representations in respect of applicants on different dates, as alleged in paragraph-13 (Annexure-3), but till date, their claim has not been considered, which is in wilful/ deliberate disobedience thereof.

Prima facie, contempt is made out against the opposite party.

Issue notice to the opposite party.

List on the date fixed in the leading contempt, who may file his response.

However, one more opportunity is granted to opposite party to comply the order within a month. In that eventuality, an affidavit of compliance may be filed.

The office may send a copy of this order along with the notice."

4- मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2015 के अनुपालन में 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत याचीगण को सामान्य उपसंवर्ग के उनके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु दिनांक 03.02.2017 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। 'श्रेष्ठता' मानदण्ड के आधार पर चयन समिति द्वारा याचीगण के तत्समय की गोपनीय प्रविष्टियों/सेवा अभिलेखों के आधार पर डा0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव (व0क0-5001), डा0 देवेन्द्र सिंह नेगी (व0क0-5165ख), डा0 विजय गौरोला(व0क0-5184), डा0 गनेशी लाल (व0क0-5258), डा0 हरेन्द्र प्रताप (व0क0-5329), डा0 हरीशंकर (व0क0-5395), डा0 शरद कुमार सिंह (व0क0-5413), डा0 अभिषेक वर्मा (व0क0-5419), डा0 सदानन्द (व0क0-5425), डा0 मुकुल कुमार गुप्ता (व0क0-5428), डा0 बाबू राम जायसवाल (व0क0-5432), डा0 अवधेष कुमार अग्रवाल (व0क0-5436), डा0 राजीव लोचन (व0क0-5437), डा0 चन्द्र भानु चौरसिया (व0क0-5701), डा0 वीरेन्द्र सिंह (व0क0-5914) को उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के उनके कनिष्ठ डा0 रवि कुमार शर्मा (व0क0-9066) की पदोन्नति की तिथि 11.02.2008 से लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है। चयन समिति द्वारा डा0 रमाकान्त आर्या (व0क0- 5298), को लेवल-3 से लेवल-4(संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान करने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को लेवल-3 (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड-पे-7600) से लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के पद पर उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा0 रवि कुमार शर्मा (वरि0क0-9066) की पदोन्नति की तिथि 11.02. 2008 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क0 सं0	वरिष्ठता कमांक	नाम
1	2	3
1	5001	डा0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव

2	5165 ख	डा0 देवेन्द्र सिंह नेगी
3	5184	डा0 विजय गैरोला
4	5258	डा0 गनेशी लाल
5	5329	डा0 हरेन्द्र प्रताप
6	5395	डा0 हरिशंकर
7	5413	डा0 शरद कुमार सिंह
8	5419	डा0 अभिषेक वर्मा
9	5425	डा0 सदानन्द
10	5428	डा0 मुकुल कुमार गुप्ता
11	5432	डा0 बाबू राम जायसवाल
12	5436	डा0 अवधेश कुमार अग्रवाल
13	5437	डा0 राजीव लोचन
14	5701	डा0 चन्द्र भानु चौरसिया
15	5914	डा0 वीरेन्द्र सिंह

6- अतएव प्रस्तर-2 में उल्लिखित याचीगण के प्रत्यावेदन उपर्युक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

आलोक कुमार
सचिव।

संख्या- 310 (1)/सेक-2-पांच-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रोन्नत किये गये चिकित्सकों के संबंध में यदि किसी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, निलम्बन तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति हो, तो उस चिकित्सक को छोड़ते हुए शेष चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देश जारी करें।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सभी संबंधित चिकित्साधिकारियों को परिचालित कराने एवं उक्त सूची को विभागीय बेवसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 4- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ/डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल, लखनऊ/बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/यू0एच0एम0 जिला चिकित्सालय, कानपुरनगर/
- 6- कोषाधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
- 7- प्रभारी कम्प्यूटर, सैल को इस निर्देश सहित कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 सुधीर कुमार श्रीवास्तव, जी-23, संजयगांधीपुरम् फौजाबाद रोड, लखनऊ।
- 9- डा0 देवेन्द्र सिंह नेगी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, डा0 राममनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ।

- 10- डा0 विजय गैरोला, 9/202, विकास नगर, लखनऊ।
- 11- डा0 गनेशी लाल, एफ-1 पद्मइच्छा अपार्टमेंट डा0 बीरवल साहनी मार्ग, लखनऊ।
- 12- डा0 हरेन्द्र प्रताप, 26 बालविहार एक्सटेंशन, पोस्ट-सीमैप, इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 13- डा0 हरिशंकर, 2/661, सेक्टर-2, विकासनगर, लखनऊ।
- 14- डा0 शरद कुमार सिंह, टाइप-IV/4, न्यु ब्लॉक-1 यू0एच0एम0, जिला चिकित्सालय, कैम्पस कानपुरनगर।
- 15- डा0 अभिषेक वर्मा, 1/10 के, विकल्प खण्ड-गोमतीनगर, लखनऊ।
- 16- डा0 सदानन्द, 30 बटलर पैलेस कालोनी, जापलिंग रोड, लखनऊ।
- 17- डा0 मुकुल कुमार गुप्ता, एन 224/20, सेक्टर-एन, आशियाना कालोनी, कानपुर रोड, एल0डी0ए0 स्टीम, लखनऊ।
- 18- डा0 बाबू राम जायसवाल, 2/453, विवेक खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 19- डा0 अवधेश कुमार अग्रवाल, 11/312, विकासनगर, लखनऊ।
- 20- डा0 राजीव लोचन, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ।
- 21- डा0 चन्द्र भानु चौरसिया, ए 967/22, इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 22- डा0 वीरेन्द्र सिंह, 3/215, विराजखण्ड-3, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 23- डा0 रमाकान्त आर्या, एस-009, अजनारा जेन-X कासिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद।
- 24- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनुसचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या- 911 / सेक-2-पाँच-17-1(3)/2014 टी0सी0
लखनऊ :: दिनांक : 25 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

डा0 भाष्कर राय व 05 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-42583/2015 डा0 भाष्कर राय व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य इस आशय से योजित की गयी कि 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत कनिष्ठ के सापेक्ष प्रोन्नति एवं परिणामी लाभ प्रदान किया जाय। मामले की सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.07.2015 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

"Heard learned counsel for the parties.

Petitioners before this Court, who are six in number, contend that all those Medical Officer who were members of PMHS Cadre and had not been considered for promotion to Level IV for no fault of their are being considered by the State Government for promotion, only when an order is made by the writ Court, and not otherwise. Reference is made to the order dated 17.01.2015 enclosed as Annexure-1 to the present petition.

We find that similar nature of writ petitions are being filed before this Court.

We dispose of the present writ petition with a direction upon the State Government that all such similarly situate employees must be considered for promotion to Level IV at par with the officers who were junior to them and have since been promoted. There should not be any further litigation for the purposes of consideration for promotion. It must be uniformly applied for all similar situate. The application of the similarly situate candidates must be considered within four weeks from the date a certified copy of this order is filed before the respondent no. 1. With the aforesaid directions, the present writ petition is disposed of."

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन हेतु याची डा0 हरीश कुमार, डा0 सुभाष चन्द्रा, डा0 यशपाल सिंह, रमाशंकर शुक्ला तथा डा0 दुर्गाशंकर शुक्ला द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन क्रमशः दिनांक 25.10.2016, 08.10.2016, 22.10.2016, 05.10.2016 तथा 20.10.2016 में आसन्न कनिष्ठ नियम के अधीन कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी को प्राप्त पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.07.2015 के अनुपालन हेतु याची डा0 हरीश कुमार व 04 अन्य द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-6259/2016 डा0 हरीश कुमार व अन्य बनाम श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजित किया गया। मामले में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.12.2016 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

" Heard Sri Vinay Kumar Tiwari, learned counsel for applicants.

It is submitted that in Writ- A No. 42583/2015, a Division Bench of this Court passed a general mandamus on 31.7.2015 directing the State Government to ensure that all similarly situated medical officers, who are members of PMHS Cadre and are not being considered for promotion to Level-IV for no fault of their's at par with medical officers, who were juniors to them, have since been promoted. It is further submitted that the applicants too claimed parity with the order dated 31.7.2015 and staked a claim before the opposite party for promotion to LevelIV by registered

representation dated 27.10.2016 in respect of applicants on 8.10.2016, 22.10.2016, 5.10.2016 & 20.10.2016, respectively, but till date, their claim has not been considered, which is in wilful/ deliberate disobedience thereof.

Prima facie, contempt is made out against the opposite party.

Issue notice to the opposite party.

List on 7.2.2017. Opposite party need not appear at this stage.

The counter affidavit may be filed within the aforesaid period or else charges may be framed after summoning the noticee.

However, one more opportunity is granted to opposite party to comply the order within a month. In that eventuality, an affidavit of compliance may be filed.

The office may send a copy of this order along with the notice."

4- मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2015 के अनुपालन में 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत याचीगण को सामान्य उपसंवर्ग के उनके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विचार किये जाने हेतु दिनांक 03.02.2017 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। 'श्रेष्ठता' मानदण्ड के आधार पर चयन समिति द्वारा याचीगण के तत्समय की गोपनीय प्रविष्टियों/सेवा अभिलेखों के आधार पर डा0 हरीश कुमार (वरि0क0-4284), डा0 सुभाष चन्द्रा (वरि0क0-4291), डा0 यशपाल सिंह (वरि0क0-4314), तथा डा0 रमाशंकर शुक्ला (वरि0क0-4661) को उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के डा0 सतेन्द्र कुमार सिंह (वरि0क0-4751) की पदोन्नति की तिथि 14.07.2005 से लेवल-3 से लेवल-4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति की गयी है। चयन समिति द्वारा डा0 दुर्गाशंकर शुक्ला (वरि0क0-4665) को लेवल-3 से लेवल-4(संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान करने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को लेवल-3 (वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड-पे-7600) से लेवल-4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के पद पर उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा0 सतेन्द्र कुमार सिंह (वरि0क0-4751) की पदोन्नति की तिथि 14.07.2005 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क0सं 0	वरिष्ठता कमांक	नाम
1	2	3
1	4284	डा0 हरीश कुमार
2	4291	डा0 सुभाष चन्द्रा
3	4314	डा0 यशपाल सिंह
4	4661	डा0 रमाशंकर शुक्ला


6- अतएव प्रस्तर-2 में उल्लिखित याचीगण के प्रत्यावेदन उपर्युक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

आलोक कुमार
सचिव।

संख्या- 911 (1)/सेक-2-पांच-17, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रोन्नत किये गये चिकित्सकों के संबंध में यदि किसी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, निलम्बन तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति हो, तो उस चिकित्सक को छोड़ते हुए शेष चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देश जारी करें।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सभी संबंधित चिकित्साधिकारियों को परिचालित कराने एवं उक्त सूची को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मथुरा/मैनपुरी/आगरा।
- 6- कोषाधिकारी, लखनऊ/आगरा/मथुरा/मैनपुरी।
- 7- प्रभारी कम्प्यूटर, सेल को इस निर्देश सहित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 हरीश कुमार, 1/43, देहली गेड सरकार नर्सिंग होम के सामने आगरा।
- 9- डा0 सुभाष चन्द्रा, 12 सिद्धार्थ इन्क्लेव मऊरोड खंदारी बाईपास आगरा-282005।
- 10- डा0 यशपाल सिंह, ई-28, न्यूआगरा, आगरा-282005।
- 11- डा0 रमाशंकर शुक्ला, 312 उत्तमगिरि एक्सटेंशन कालोनी, निकट पश्चिमपुरी कालोनी, शास्त्रीपुरम् आगरा-282007।
- 12- डा0 दुर्गा शंकर शुक्ला, 8ए/10, शील विहार, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान रोड, खंदारी बाईपास, आगरा-282005।
- 13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनुसचिव।